

## जनसुनवाई कार्यवाही विवरण

“चाइना क्ले एवं सिलिका सेण्ड माइनिंग प्रोजेक्ट नागौर क्लस्टर-10” कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), क्लस्टर क्षेत्र 53.3910 हेक्टेयर, गांव-टांगला व टांगली, तहसील- जायल, जिला- नागौर आवेदक-माइनिंग इन्जीनियर, डिपार्टमेन्ट ऑफ माइन्स और जियोलॉजी, राजस्थान सरकार, नागौर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर कि अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2022 को सुबह 11:00 बजे कार्यालय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र(IT-CENTRE), ग्राम टांगला, तहसील-जायल, जिला-नागौर (राजस्थान) में आयोजित जनसुनवाई कि कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक RPCB/RO/NGR/PUB-137/1390-1394 दिनांक 28.09.2022 एवं कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2022/5956 दिनांक 20.09.2022 कि अनुपालना में “चाइना क्ले एवं सिलिका सेण्ड माइनिंग प्रोजेक्ट नागौर क्लस्टर-10” कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), क्लस्टर क्षेत्र 53.3910 हेक्टेयर, गांव- टांगला व टांगली, तहसील- जायल, जिला- नागौर आवेदक-माइनिंग इन्जीनियर, डिपार्टमेन्ट ऑफ माइन्स और जियोलॉजी, राजस्थान सरकार, नागौर के खनन से सम्बंधित जनसुनवाई हेतु दिनांक 04.11.2022 को आयोजित कि गई। जनसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई कि आमसूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं नागौर दैनिक भास्कर में दिनांक 29.09.2022 में प्रकाशित करवाई गई परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जनसुनवाई के प्रारंभ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया तत्पश्चात श्री मोहनलाल खटनावलिया अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारंभ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरण सलाहकार को आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से पर्यावरण सलाहकार टीम मैसर्स एटमॉस सस्टेनेबल सॉल्युशन प्राइवेट लिमिटेड, के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा ने प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में उपस्थित लोगों को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मैप, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन,) व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपशिष्ट को अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रबंधन तथा मण्डल मानकों के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर एवं श्री मोहनलाल खटनावलिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया।

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबंधित व्यक्तियों से में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए गए जो निम्न प्रकार हैं:-

1. श्री भूराराम जी, ग्राम -टांगला, द्वारा बताया गया कि ये लोग पेड़ पौधों के बारे में इतना बता रहे हैं लेकिन पेड़-पौधे कहीं नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि जो भी सारी चीजें यहां बताई गई उसमें सबसे पहले एक लाइन बोली गई कि पर्यावरणीय स्वीकृति अर्थात् एनवायरमेंट क्लीयरेंस, यह सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो सब चीजें यहां बताई गई है यह सारी चीजें उस पत्र के अन्दर सशर्त लिखित में आती है। और परियोजना प्रस्तावक को हर छः महीने के अन्दर उसकी अनुपालना करने के लिए बाध्य होता है, अगर छः महीने के अन्दर इसकी अनुपालना नहीं करता है तो यह पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र रद्द हो जाता है यानि ऐसा नहीं है जो चीजे बताई गई कि पेड़ पौधे यहां लगेंगे कितने लगेंगे इनको लगाने के लिए प्रस्तावक बाध्य है इनको करना ही पड़ेगा।
2. श्री सुरेश छाबा, (सरपंच प्रतिनिधि ग्राम - छावटा), द्वारा बताया गया कि चाइना क्ले माइंस में भारी वाहनों के आवागमन के लिए गांव से बाइपास या कोई दूसरे रास्तों से



*Manita*



निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा चाइना क्ले की जितनी भी माइंस है वो नाडी और तालाब की अंगौर भूमि के आस-पास है, उन अंगौर भूमि के लिए तारबंदी/जाली करवाना ओर चारों तरफ पौधे करवाना ओर नाडी में पानी आवागमन के लिए जो उबड़-खाबड़ जमीन है उसको समतल करवाना ओर जो अवांछित पौधे हैं जैसे अंग्रेजी बबूल है जिनसे पानी खराब होता है नाडी का, या जो गंदा पानी आता है उसकी आवागमन की रोकथाम के लिए कुछ व्यवस्था करवानी है, दूसरा हमारे यह जो गांव के चारों ओर जो सड़के हैं वो ग्रेवल है या कच्ची सड़के हैं, डामर सड़क केवल स्टेट हाइवे से टांगला केवल एक ही सड़क आ रही है तो टांगला से फरडौद के लिए डामरीकरण करवाना जो भारी वाहनों के लिए सबसे बढ़िया रास्ता जो 5 किमी. लम्बा है, दूसरा आगे टांगले में बिणजारों की ढाणी है जिसके आस पास खूब चाइना क्ले माइंस है उनके लिए डामर सीधा छावटा कला से होते हुए 101 के लिए डामर जाती है वो डामर करवानी, एक है छावटा कला से 11 के लिए सड़क करवानी ओर एक है टांगला से रोल के लिए सीधी सड़क जाती है उसके लिए डामर करवाना, दूसरा यहां लाईट की व्यवस्था नहीं है। नाइट में एक जी.एस.एस. पहले आंवटित था लेकिन हुआ नहीं गांव में शाम को अंधेरा होने के बाद सारी गलियों में अंधेरा रहता है उसके लिए स्टीट्र लाईटें एक हाई मास्क प्रत्येक गांव में एक एक हाई मास्क लाइट लगवानी। ओर एक सामुदायिक हॉस्पिटल के लिए जगह पंचायत उपलब्ध करवा देगी उसकी स्वीकृति के लिए आवेदन करवाना है ताकि यहां चिकित्सा की व्यवस्था हो सके और एक मंदिरों में गार्डन की व्यवस्था करवानी है यहां एक सात गांव की गौशाला है उसमें गायें भी खूब सारी है उनके लिए सहायता राशि निश्चित की जाए एक रशीद बुक जिससे बाहर की गाड़ियां आती है जिनके लिए पचास रुपये, सौ रुपये एक शुल्क निर्धारित किया जाये, उसका उपयोग गायों के लिए चारे-पानी की व्यवस्था के लिए किया जा सके बाकि ओर जो भी चीजे गांव वाले बतायेंगे ओर जो भी बोला है वही लिखित में दे देंगे। श्री सुरेश छाबा द्वारा जन सुनवाई के दौरान लिखित में ज्ञापन दिया गया। जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट संख्या 03 पर संलग्न है।

3. श्री हरिराम गांव टांगला (9784723933) द्वारा बताया गया कि यहां पर दो हजार लेबर काम कर रहीं है ओर हजार लेबर को रोजगार मिला है मशीनरी से भी बीस/तीस/पचास लोगों को रोजगार मिला है तथा ट्रांसपोटेशन से भी लोगों को रोजगार मिलता है तथा ये फायदे होते हैं, माइनिंग से गर्वमेन्ट को राजस्व बढ़ता है तथा रोजगार मिलता है।
4. श्री हरिराम सांगवा गांव ग्यार (7732925311) के द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से बहुत फायदा होगा अभी थोड़ी माइन्स चल रही है जिससे भी हो रहा है ओर आगे भी होगा।



*Amrita*

5. श्रीमान ए.डी.एम. साहब द्वारा पुन आग्रह किया गया किसी को कोई आपत्ति आक्षेप सुझाव है तो वे मौखिक या लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है। इसके बाद भी कुछ समय तक अपनी आपत्ति या सुझाव पेश कर सकते है।
6. श्री देवकरण गांव टांगला द्वारा बताया गया कि रात को खाने के समय लाईट चली जाती है ओर खाना खाने के पश्चात् आती है। जिससे वृद्ध लोगों को परेशानी होती है।

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जन सुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित एक सुझाव/आपत्ति/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त हुआ है। (संलग्न-ख)

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी ग्रामवासियों को सुझाव प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद कहा एवं जन-सुनवाई समाप्ति की घोषणा के साथ जन-सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

  
(सविता)

क्षेत्रीय अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर



(मोहन लाल खटवानिया)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
नागौर (राजस्थान)

उपस्थिति पत्रक

गै माइनिंग इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ माइन्स और जियोलॉजी, राजस्थान सरकार, गांव टागला व टागली, तहसील-जायल, जिला-नागौर के "चाइना क्ले एवं सिलिका सेण्ड माइनिंग प्रोजेक्ट नागौर ब्लॉक 10" कुल अनुमानित ब्लॉक उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), ब्लॉक क्षेत्र 53 3910 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान - भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र (आई टी सेक्टर) गाँव-टागला, तहसील जायल जिला नागौर

जिला - नागौर।

दिनांक - 04 11 2022

समय - प्रात 11:00 बजे से

क्र.सं.	नाम व पता	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	मोहनलाल खटनानसिया ADM नागौर	9414252652	
2.	Savita, Ro, Nagaur	9983411222	
3.	ANILDEV SARDAR, ME.	8094356326	
4.	Dyiraj Chauhan EEC, RSPCB, Nagaur	9549020647	
5.	Umesh Chandra	ENV. Advisory ATMOS SOM.	
6.	शानतिवास	9982896804	शानतिवास
7.	शिवकान्त	98283114617	शिवकान्त
8.	लखनारायण	9664007697	लखनारायण
9.	विश्वराज शर्मा	6378591344	विश्वराज शर्मा
10.	श्रीराम कुमार	9636434585	श्रीराम
11.	शशिषा दुग्गला	9461102604	शशिषा
12.	जयशंकर शर्मा (पुष्पा/राजेश)	9057550749	
13.	शशिषा दुग्गला	86350069323	शशिषा



## उपस्थिति पत्रक

श्री माइनिंग इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस और जिमिनॉजी, राजस्थान सरकार, गांव टागला व टागली, तहसील-जायल जिला-नागौर के "माइना कले एन सिटिका सेक्टर माइनिंग प्रोजेक्ट नागौर ब्लॉक 10" कुल अनुमानित ब्लॉक उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), ब्लॉक क्षेत्र 53.3910 हेक्टेयर, की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान - भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र (आई टी सेन्टर) गाँव टागला, तहसील- जायल, जिला-नागौर  
जिला - नागौर।  
दिनांक - 04/11/2022  
समय - प्रातः 11:00 बजे से

14.	जगदीश धायल	9460891892	जगदीश
15.	पुखराज शर्मा	9035118870	<del>पुखराज</del>
16.	दामोदर धायल	9649959296	दामोदर
17.	जगदीश धायल	9460756065	<del>जगदीश</del>
18.	मोड सिंह	827865906	मोड सिंह
19.	शमशेर र तेंगला	9413449961	शमशेर
20.	जगदीश धायल	8104231597	जगदीश
21.	नवरत्न धायल	9024242388	नवरत्न
22.	कुराशम धायल	9834009795	कुराशम
23.	हनुमान सिंह	9649734817	हनुमान सिंह
24.	हनुमान राम कड़ा	99588289522	हनुमान राम
25.	गणेश धायल	99837819	गणेश
26.	हरि राम धायल	9754723533	<del>हरि राम</del>
27.	जाकीर	9799548926	जाकीर

## उपस्थिति पत्रक

मे माइनिंग इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग और जियोलाजी, राजस्थान सरकार, गांव टागला व टागली, तहसील जायल, जिला नागौर के "चाइना क्ले एव सिलिका सेप्ट माइनिंग प्रोजेक्ट नागौर ब्लॉक 10" कुल अनुमानित ब्लॉक उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), ब्लॉक 53.3910 हेक्टेयर, की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान - भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र (आई टी सेन्टर) गाँव टागला, तहसील जायल, जिला नागौर

जिला - नागौर।

दिनांक - 04.11.2022

समय - प्रातः 11.00 बजे से

28.	श्यामी लाल	9735141776	श्यामी लाल
29.	हरीशम सोहन	7732925311	हरीशम
30.	किशोर सिंह	9828702840	किशोर सिंह
31.	नेमल देवधर	9958809170	नेमल
32.	अशोक देवधर	6376701330	अशोक
33.	जुवेर देवधर देवधर	9799837855	जुवेर देवधर
34.	देव लाल	9928178299	देव लाल
35.	मनरलाल	6378980915	मनरलाल
36.	भरत सोहन	9928260732	भरत सोहन
37.	नरेश देवधर		नरेश देवधर
38.	जुवेर देवधर देवधर	9799837855	जुवेर देवधर देवधर
39.	Shivdayal Godara	9544956601 Geologist	शिवदायल
40.	श्यामी लाल	9784781132	श्यामी
41.	शिवदायल	7734995193	शिवदायल



## उपस्थिति पत्रक

श्री माइनिंग इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ माइन्स और जियोलॉजी, राजस्थान सरकार, गाब-टागला व टागली, तहसील जायल, जिला नागौर के "घाड़ना ब्ले एव सिलिका सेण्ड माइनिंग प्रोजेक्ट नागौर क्लस्टर-10" कुल अनुमानित ब्लस्टर उत्पादन क्षमता 60,72,962 TPA(ROM), ब्लस्टर क्षेत्र 53.3910 हेक्टेयर, की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई टी सेन्टर) गाँव टागला, तहसील- जायल, जिला नागौर

जिला - नागौर।

दिनांक - 04 11 2022

समय - प्रातः 11:00 बजे से

42.	इसलिए आव S10 ठा.लाग 24/7	9772831100	Asir
43.	राफ़ुयांर S10 सुरजापुरमेवा	9982614210	Ramkrishna
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			











# कार्यालय ग्राम पंचायत टांगला

इन्द्रा

पंचायत समिति, जायल (नागौर)

निवासी : इन्द्रा W/O सुरेश छाया

(समर्पण)

मु.पो. छायाटा खुर्द

मो. 9414270024

तहसील जायल, जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक : आ.पं. टांगला/2022-23/47

दिनांक 24.11.2022

सेवा में

श्रीमान उतिरिक्त जिस्टा कलेक्टर

नागौर (राज.)

विषय :- चाइनाक्ले एवं बिलिका ब्लैड स्वनिज मध्य कलेक्टर परियोजना में ग्राम पंचायत टांगला के विकास कार्य के संबंध में।

महोदय जी

उपरोक्त विषय में निम्न है कि ग्राम पंचायत टांगला

में चाइनाक्ले एवं बिलिका ब्लैड (अपुधान) स्वनिज मध्य कलेक्टर

की स्वनिज परियोजना की पब्लिक हियरिंग सजीव गांठी ब्लैड

केन्द्र टांगला में दिनांक 14.11.2022 को सजी गयी है। ग्राम

पंचायत क्षेत्र में स्वनिज विभागा के काम-काज व पर्यवेक्षण

विभाग RSMET की राशि पंचायत विकास कार्य के लिए आवस्यत करवानी की आवश्यकता की जा रही है

:- शर्तों की शर्तें :-

दिनांक

① चाइनाक्ले आवागमन के लिए शरी बाहरी के लिए ग्राम पंचायत की बाड़के का आवस्यकता करवाना जो कि निम्न है

(i) टांगला से करडोड बाड़के लम्बाई 5.00 किमी

(ii) टांगला से डेकर बाड़के लम्बाई 7.00 किमी

मार्ग (iii) टांगला दुबलाखुर्द सेल बाड़के लम्बाई 7.00 किमी

(iv) टांगला से नरुशो को लकी दुबलाखुर्द बाड़के लम्बाई 6.00 किमी.

② ग्राम पंचायत के सभी विकास कार्य में सही तरीके से बाड़के करवानी के लिए ग्राम पंचायत में सही बाड़के आवस्यकता करवाना



# कार्यालय ग्राम पंचायत टांगला

इन्द्रा

(मरपंच)

मो. 9414270024

पंचायत समिति, जायल (नागौर)

निवास : इन्द्रा W/o सुरेश ठावा

मु.पो. छावटा खुदं

तहसील जायल, जिला-नागौर ( राज. )

दिनांक 24.11.2022

क्रमांक :

---(2)---

- (3) ग्राम पंचायत की तालाब की उगीर श्रुति का शमावलीकरण, उगीर व तारकदी के लिए उचित कार्य करवाना ।
- (4) तालाब व नाडी खुदई करवाना तथा वर्षा जल संरक्षण के लिए तालाब व नाडी की राह को मजबूत (चाइनाकोर का शराव) करवाना ताकि पानी का पानी अधिक लम्बे समय तक संग्रहित किया जा सके ।
- (5) ग्राम पंचायत के आबदी होज से शरी बाहरी के आबागमन पर रोकथाम करके शरी बाहरी को बाईपास या अन्य जगहों से आबागमन के लिए पक्का करवाना ।
- (6) ग्राम पंचायत के लिए अनुदायिक उपपत्ता, खेत मंडल तथा जमीन विकसित करवाना ।
- (7) ग्राम पंचायत के लिए जिजी विकास कार्य हेतु सहायता शक्ति तथा गौशाला से गण्डों के पालन पोषण हेतु वजह गण्डों के लिए पोषाहित करके वजह आंगणित करवाने के कार्रवाई करवाना ।

अब श्रीमान जी. निवेदन है कि उपर बिंदुओं की ग्राम पंचायत विकास के लिए अनुमोदन करके ब्यवस्था गंभीरता से चलायी जायेगी है।

(संकेत)   
 ग्राम पंचायत   
 टांगला

जगदीश धायल   
 - 24.11.2022

मै. व. र. लाल   
 हजमान सिंह

इन्द्रा   
 मरपंच   
 प. मरपंच, जायल (नागौर)











